E-1222820/2017/RTI
21/3/17

O/o C. R. Section (RTH)
Dy. No. 1222705/2017
Date 20/3/2017

(19)

सेवा में,

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय — पोस्टल आर्डर सही पते पर देने के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ने एक जनसूचना माँगी थी कुछ बिन्दुओं पर। जिसका पोस्टल आर्डर उक्त पते पर नहीं था। अतः प्रार्थी ने एक नया पोस्टल आर्डर जिसकी संख्या 34f 365129 भेज रहा हूँ।

अतः निवेदन है कि मांगी गई सूचना जल्द ही उपलब्ध कराने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
प्राप्त किया
20 MAR 2017
F.E.O.

FSO(RTI)
21/3/17

दिनांक
14/03/17

प्रेषक
प्रवेश शर्मा
विद्या विहार कालौनी
जकेवर (इटावा) उ० प्र०

Pl. read
RTI appl
on RTI appl

[illegible]

Sh. A.M.
21.3.17

हादसों को दावत दे रही अधूरी सर्विस रोड

संवाद सूत्र, बाबरपुर : हाइवे निर्माणदायी संस्था द्वारा जैसे तैसे हाइवे के निर्माण का कार्य तो पूरा [illegible] लिया है, लेकिन अभी तक कई स्थानों [illegible] सर्विस रोड अधूरी पड़ी है। इसके चलते वाहनों को या तो गलत साइड से निकालना पड़ता है, या फिर अवैध कटों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

परेशानी

- सर्विस रोड बनवाने की प्रशासन से ग्रामीण कर रहे मांग
- अवैध कटों से निकालने पड़ते वाहन, आए दिन होती दुर्घटनाएं

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 इटावा चकेरी हाइवे पर ओवरब्रिजों के पास सर्विस रोड अभी भी कई जगह अधूरी पड़ी है। ऐसे में लोगों को कस्बे में आने के लिए तथा कस्बे से हाइवे तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजीतमल क्षेत्र के अंतर्गत बिजली घर से लेकर लालपुरा तक ओवरब्रिज बना है। ओवरब्रिज के दक्षिणी ओर अभी तक सर्विस रोड नहीं बनी है। इसके चलते औरैया भीखेपुर से आने वाले वाहनों को अजीतमल कस्बे में आने के लिए करीब दो किमी का चक्कर काटकर आना पड़ता है। या फिर वाहन चक्कर बचाने के लिए भीखेपुर ओवरब्रिज से ही गलत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बिजलीघर अजीतमल के पास बने अवैध कट से कस्बे में आने के लिए हाइवे को क्रास करने का जोखिम उठाते हैं।

वहीं प्रतापपुरा चौराहे पर भी हाइवे पर ओवरब्रिज बना है। इसके दक्षिणी ओर सर्विस रोड अभी तक नहीं बनी है। ऐसे में सिरधरीपुर, अमावता आदि गांव के लोगों को बाबरपुर कस्बे में आने के लिए जगह जगह से हाइवे पर बनाए गए अवैध कटों से आना पड़ता है। भौहारी ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड न होने से बाबरपुर अजीतमल से इटावा जाने वाले वाहनों को भौहारी से पहले बने अवैध कट से हाइवे पर चढ़ना पड़ता है। इसके चलते आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्षेत्रीय लोगों ने अवैध कट बंद करवाने तथा सर्विस रोड बनवाने के लिए प्रशासन से मांग की है।

सेवा मे,

E-1219573/2017/RTI
23/2/17

जनसूचना अधिकारी / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
भारत सरकार

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन

महोदय,

उत्तर प्रदेश के इटावा से कानपुर के बीच बने नेशनल हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) के संबध में हमें संदेह है कि यहाँ नियम व कानून के हिसाब से कार्य नही हुआ है इस संबध मे निम्न बिन्दुओ की सूचना दी जायें। शुल्क के रूप मे ₹ 10 का पोस्टल आर्डर संलग्न है जिसकी संख्या 34F 365078 है

1- इटावा से कानपुर के बीच में कितने ओवर ब्रिज प्रस्तावित थे तथा किस-किस जगह प्रस्तावित थे स्पष्ट रूप से बतायें।

2- इटावा से कानपुर के बीच कितने ओवरब्रिजो का निर्माण हुआ तथा किन स्थानो पर हुआ। स्पष्ट रूप से बतायें।

3- इटावा से कानपुर के बीच कितने ओवरब्रिज प्रस्तावित होने के बावजूद नहीं बनाये गये। न बनने का कारण स्पष्ट रूप से बतये

4- इटावा से औरैया के बीच कितने लिंक रोड बनाये गये तथा कितने प्रस्तावित थे तथा किन-किन जगहो पर बनाये गये। स्पष्ट रूप से समझावें

5- इटावा से औरैया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य कब तक समाप्त होगा

6- तय समय पर कोई अधिकारी कार्य नही करता तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी

7- इटावा से औरैया के बीच कितने स्ट्रीट लाइट प्रस्तावित हैं तथा किन-किन जगहो पर प्रस्तावित है। किन स्थानो की लाइट जल रही हैं

ESO(RTI)
23/2/17

दिनांक
13/02/17

O/o C. R. Section (RTI)
Dairy No. 1219464/2017/CR
Date 22/2/17

RTI

प्रेषक
प्रकेश शर्मा
विहार विहार कालोनी
बकेवर (इटावा) उ० प्र०

प्राप्त किया
22 FEB 2017
RECEIVED
Ministry of Road Transport & Highways

(145)

Sh. A.M.

Ghanc
23/02/17

फ.स.आई-I-**34014/49/2017**-आरटीआई
भारत सरकार
सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय

दिनाक- **27.02.2017**

सेवा में,

श्री प्रवेश शर्मा
विघा विहार कॉलोनी
वकेवर (इटावा) उत्तर प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री प्रवेश शर्मा से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनाक 13.02.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनाक 22.02.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि **'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली,** को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10/- रु0 का IPO 34F 365078 इसके साथ वापस किया जा रहें है।

भवदीय

घनश्याम मीना

(घनश्याम मीना)
अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 4930 Dated 21/3/17

Received RTI Application dated..................................

from Sh. Smt. / Mr. प्रवेश शर्मा

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) / Fee of Rs. — (Rupees — only) for providing information under RTI Act 2005 in Cash / Demand Draft / Cheque / IPO ✓ No. 34F 365729

Dated ....

Signature / Receipt Official (IFC)